



दिनांक:- 19.11.2020

# “महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

## “मिशन शक्ति” अभियान के तहत महिला थाना प्रभारी एवं एण्टी रोमियों टीम ने बालिकाओं/महिलाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 19.11.2020 को उ0नि0 सुषमा चौधरी प्रभारी महिला थाना मय टीम एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ शहर के रामकथा मार्ग, उदल चौक, प्राइवेट बस-स्टैंड, तहसील चौराहा आदि जगहों पर जाकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान "मिशन शक्ति" के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090, 181, 112, 1076 को साझा किया गया एवं महिला सम्बन्धी कानून आदि की जानकारी देते हुये उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

जागरूक करने हुये बताया गया कि थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जहां आप अपने साथ हुये दुर्यवहार/अभद्रता को खुलकर बता सकेंगी एवं जिसका त्वरित निस्तारण महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त पुलिस महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा साथ ही महिलाओं से जुड़े विधिक अधिकारों की जानकारी भी देंगी। जिससे नारी गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जा सके।





दिनांक:- 19.11.2020

# “महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

## थाना खन्ना पुलिस ने वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तगणों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री शिवसहाय द्वारा गठित टीम जिसमें वरि.उ.नि. महेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में हमराहीगणों की मदद स वारण्टी अभियुक्तगण -(1) छोटे पुत्र बैजू वर्मा उम्र लगभग 36 वर्ष (2) बरातीलाल पुत्र बैजू वर्मा उम्र लगभग 23 वर्ष निवासीगण ग्राम तमौरा थाना खन्ना जनपद महोबा (3) हेमराज पुत्र भग्गी प्रजापति उम्र लगभग 54 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को उनके घर के सामने से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:थाना...खन्ना:-

1. व0उ0नि0 महेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का. कौशल प्रताप सिंह
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार

### गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

- (1) छोटे पुत्र बैजू वर्मा उम्र लगभग 36 वर्ष
- (2) बरातीलाल पुत्र बैजू वर्मा उम्र लगभग 23 वर्ष निवासीगण ग्राम तमौरा थाना खन्ना  
**उपरोक्त का गैरजमानतीय वारण्ट:-** माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा केश नं. 311/2019 धारा 323/504 भादवि में
- (3) हेमराज पुत्र भग्गी प्रजापति उम्र लगभग 54 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा  
**गैरजमानतीय वारण्ट:-** माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा केश नं. 401/2020 धारा 323/504 भादवि में





दिनांक:- 19.11.2020

# “महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

## “थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

आलाकत्ल के साथ हत्या का नामजद अभियुक्त गिरफ्तार



दिनांक 16/11/2020 को थाना कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत मुहल्ला बड़ीहाट में मृतक मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र छिट्टू निवासी बड़ीहाट गैस एजेन्सी रोड महोबा की हत्या हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी श्री कैलाश कुशवाहा पुत्र मूलचन्द्र कुशवाहा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर

मु0अ0सं0 620/20 धारा 147/148/149/452/302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था । अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली नगर को घटना शीघ्र अनावरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19/11/2020 को थाना प्रभारी कोतवाली नगर निरीक्षक श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 620/20 धारा 147/148/149/452/302/34 भादवि से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त रामआसरे कुशवाहा पुत्र रामनाथ उर्फ भालू उम्र 32 वर्ष निवासी मुहल्ला बड़ीहाट थाना कोतवाली जनपद महोबा को पीडब्ल्यूडी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशादेही पर उसके घर से आलाकत्ल एक अदद लोहे की रॉड बरामद की गयी । आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रामआसरे कुशवाहा पुत्र रामनाथ उर्फ भालू उम्र 32 वर्ष निवासी मुहल्ला बड़ीहाट थाना कोतवाली जनपद महोबा

### बरामदगी विवरण:-

आलाकत्ल एक अदद लोहे की रॉड

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-थाना कोतवाली महोबा...।

1. थाना प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
2. वरिष्ठ उ0नि0 लाखन सिंह
3. कां0 रवी कुमार
4. कां0 शिवकुमार



दिनांक:- 19.11.2020

# “महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

## थाना महोबकंठ पुलिस ने 04 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.11.2020 थानाध्यक्ष महोबकंठ दिनेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा अभियान में सम्मिलित होकर थाना स्थानीय पंजीकृत मु0अ0स0 174/20 धारा 147/149/452/323/504/308 भादवि एवं आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 के वांछित अभियुक्त क्रमशः (1). मुकेश पुत्र अशोक राजपूत उम्र 23 वर्ष (2) परम सिंह पुत्र खेमचन्द्र राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष (3) मानिक चन्द्र पुत्र सुखलाल राजपूत उम्र करीब 40 (4). धनप्रसाद पुत्र नाथूराम राजपूत उम्र 42 वर्ष को अमानपुरा क्रासिंग ग्राम भुजपुरा से गिरफ्तार किया गया । अभि0गणों को पेशी हेतु सम्बन्धित न्यायालय भेजा जा रहा है।

## गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण:-

(1). मुकेश पुत्र अशोक राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा (2) परम सिंह पुत्र खेमचन्द्र राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष (3) मानिक चन्द्र पुत्र सुखलाल राजपूत उम्र करीब 40 (4). धनप्रसाद पुत्र नाथूराम राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासीगण ग्राम भुजपुरा थाना महोबकंठ महोबा

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - थाना महोबकंठ...।

1. उ0न0 कमलेश कुमार
2. का0 प्रदुम्न कुमार
3. का0 संदीप कुमार





दिनांक:- 19.11.2020

# “महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

## “थाना अजनर पुलिस ने हत्या के वांछित अभियुक्त को आलाकत्ल- तमंचा के साथ किया गिरफ्तार”

दिनांक 17.11.2020 को थाना अजनर ग्राम महुआबाँध निवासी राजू राजपूत पुत्र बिन्दावन के पुत्र गौरी शंकर उर्फ शंकु उम्र 17 वर्ष जो पडोस में किसी कार्य से गया था जहां से वापस आते वक्त रास्ते में अभियुक्त शिवम पुत्र रामसहाय राजपूत द्वारा गोली मार दी थी जिस बावत गौरी शंकर उर्फ शंकु की मृत्यु हो गयी थी..जिस सम्बन्ध में थाना अजनर में अभियोग पंजीकृत किया गया था व अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया ।

जिसके क्रम में आज दिनांक 19/11/20 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर.के.गौतम के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम ने वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु.अ.सं. 200/2020 धारा 302 भादवि को ग्राम महुआबाँध से अभियुक्त शिवम पुत्र रामसहाय राजपूत निवासी ग्राम महुआबाँध जिला महोबा उम्र 19 वर्ष को आज दिनांक 19/11/20 को अभियुक्त का घर ग्राम महुआबाँध से ग्राम महुआबाँध थाना अजनर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की जामा तलाशी से एक अदद तमंचा आलाकत्ल 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फंसा हुआ व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर\_जिसके आधार पर मु.अ.स. 201/20 धारा 3/25A ACT थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया वाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवम पुत्र रामसहाय राजपूत निवासी ग्राम महुआबाँध जिला महोबा उम्र 19 वर्ष

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पाण्डेय
2. उ.नि. राजेश कुमार प्रजापति
3. का. जीतेंद्र गौतम
4. का. राममिलन
5. का.बलजीत सिंह

